श्री उग्रसेन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में अभी बताया है कि दिल्ली में 1 लाख 30 हजार दरखास्तें पड़ी हुई है जिनपर अभीतक गैस नहीं दी गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि गैस देने के आधार क्या हैं ? प्रायर्टी के लिए है, तनख्वाह के लिए हैं, आमदनी पर है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर है ? किस आधार पर दिल्ली में कनेक्शन दिया जाता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का आधार है ।

श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी घोषणा की कि एजेन्सी देने के बारे में हरिजनों और आदिवासियों को भी प्रोत्साहन दिया जायगा । मैं जानना चाहता हूं—क्या गैस की कनेक्शन देने के लिये हरिजनों और आदिवासियों के लिये कोई रिजर्वेशन किया जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हो सके तो हरिजनों, आदिवासियों और गरीब लोगों को देना चाहिये । मैं उन को यह एशोरेंस दे सकता हूं कि प्रायोरिटीज दी गई हैं, उन में कई हरिजन और आदिवासियों भी है, लेकिन उन के लिये कोई रिजर्वेशन रखना सम्भव नहीं है । अभी तक किसी भी जगह—मिट्टी का तेल, चीनी, आदि—में कोई प्रायोरिटी उन के लिये नहीं बनाई है, इस में भी अभी कोई प्रायोरिटी नहीं बनी है ।

श्री लक्ष्मन लाल कहूर : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि गैस की कमी के कारण हम गैस सप्लाई नहीं कर सकते हैं । क्या मंत्री महोदय को पता है कि जब आप की पेट्रोलियम फेक्ट्रीज है, जैसे बरौनी, गौहाटी, डिगबोई—इन जगहों पर गैस को जला दिया जाता है, वहां पर लगातार गैस जलती रहती है और वर्षों से जल रही है । इस गैस को बचा कर लोगों का देने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यद्यपि मूल प्रश्न से इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करूं कि जो गैस जलती है, वह इस प्रकार से है जैसे रोटी पकाने के लिये हमें आग जलानी पड़ती है, खाना पकाने के लिये गैस जलानी पड़ती है । पैट्रोलियम रिफाइनरी में भी हमें थोड़ी गैस बाहर निकाल कर जलानी पड़ती है । संसार में कोई रिफानरी ऐसी नहीं है जहां सौ-फीसदी गस को एल० पी० जी० में बदल दिया जाता है, कुछ न कुछ गैस जरूर जलानी पड़ती है । डिगबोई या दूसरी जगहों पर जो गस निकलती है, उस में से जितना हम ले सकते हैं, उतना ले रहे हैं, नामरुप का फटिलाइजर प्लांट हम उसी के आधार पर लगा रहे हैं । बरौनी में जो गैस जल रही है, उस को कम नहीं किया जा सकता है, जितनी मिनीमम नैसेसिटी है, उतनी हीं जल रही है, उस से ज्यादा नहीं जल रही है ।

Cancellation of Permission Letters and No Objection Letters

*295. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Hathi Committee has stated that Permission Letters and No Objection letters do not have any legal backing in terms of the provision of I (D&R) Act;

(b) if so, why no action has so far been taken to cancel these letters; and

(c) whether foreign companies have resorted to production of items covered under these letters, violating the conditions subject to which these letters were granted and if so, what action Government have taken/propose to take to prevent such violations?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The majority view of the Hathi Committee was that Permission Letters/No Objection Letters do not have any legal backing in terms of the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act. Four members of the Committee, however, expressed their reservations on the above interpretation and, conclusion.

The legal opinion however is that Permission Letters were issued subject to certain conditions. Most of these letters carried a condition that the manufacture of the drugs would be within the overall licensed capacity. The Permission Letters issued for the manufacture of drug formulations were more in the nature of clarification that the applicant would require a licence if certain conditions were not satisfied.

(c) It is more than two years since the Hathi Committee recommendations were available to Government but no action was taken to find out what was being done by concerned foreign companies to function within the conditions of the Permission Letter extended to them.

While keeping in mind the recommendations No. 13 and 14 of Chapter V of Hathi Committee Report in this regard, Government propose to make a full enquiry and prepare a consolidated account of the position as obtaining, so as to decide on the next course of action with regard to wilful violations if any of the parameters laid down in the said Letters of Permission.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : आप ने (ख) के जवाब में बताया है कि दो साल तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस पर दो साल तक कोई कार्यवाही नहीं की, उन लोगों के खिलाफ क्या आप कोई कदम उठायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जिन लोगों ने दो साल इस पर काम नहीं किया था, एक्शन नहीं लिया था, उन के खिलाफ जनता ने कदम उठा दिया है, उन को वहां से उठा कर बाहर कर दिया है । अब और कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है ।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : फिर भी कोई-न-कोई कदम तो उठाना ही चाहिये ।

दूसरा प्रश्न—आप इस के लिये कोई समुचित जांच कमेटी बनाने के बारे में सोच रहे हैं—यह कमेटी कब तक बनेगी ? पहले ही दो साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, अब इस में कितना समय लगेगा ? जल्द-से-जल्द इस कमेटी का गठन किया जाना चाहिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस में कमेटी नहीं बनानी है, कैबिनेट को निर्णय लेना है । जैसा मैंने निवेदन किया है—मेरे स्तर पर काम पूरा हो गया है, अब मंत्री-परिषद् के सामने यह मामला जायेगा, उन को इस के बारे में निर्णय लेना है, उस के बाद तत्काल कार्यवाही होगी । लेकिन यह बात जरूर है कि तत्काल में भी थोड़ा वक्त लगेगा ।

Issue of Wax in Delhi

*296. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to lay a statement showing:

(a) the names and addresses of the persons, firms and companies who have been issued quota of wax in Delhi during Emergency;

(b) what are the findings of the inquiry conducted by Delhi Administration over this matter and what action has been taken by Government thereon;